न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/652

मिसल नम्बर– 96 / 2025

1.लीला देवी आयु 72 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री कस्तूरचन्द जाति छीपा निवासी मकान नम्बर 633 नागर कॉलोनी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा राज0

प्रार्थीया।

बनाम

1.अरूणा नामा पत्नी स्वर्गीय यशवन्त उम्र 39 वर्ष जाति छीपा निवासी मकान नम्बर 633 नागर कॉलोनी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा राज0

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 15/5/26

उपस्थिति:–

1. श्री मुकेश कुमार, कल्पना शर्मा अभिभाषक प्रार्थीया
2. श्री इलियास गोरी अभिभाषक अप्रार्थीया

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया वर्तमान में 72 वर्ष की अत्यधिक वृद्ध वरिष्ठ नागरिक महिला है तथा प्रार्थिया गृहणी महिला है तथा प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थिया विधवा महिला है, तथा प्रार्थिया मकान नम्बर 633 नागर कॉलोनी, छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा राज0 की निवासनी है। प्रार्थिया के कुल चार संताने क्रमशः सलोचना नामा जिसका विवाह हो चुका है और विवाह उपरान्त वह अपने ससुराल में निवास कर रही हैं। पुत्र प्रविन्द्र कुमार जो कि अविवाहित है, प्रार्थिया के साथ इसी मकान में निवास करता है तथा देखभाल व सर समाल करता है तथा पुत्र हरिओम का विवाह हो चुका है, जो कि पत्नि व बच्चो सहित इसी मकान में निवास करता है तथा यशवन्त जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जो होमगार्ड नौकरी में था, जिसकी अनुकम्पा नियुक्त प्रतिपक्षनी लग चुकी है और वर्तमान में होमगार्ड विभाग में कार्यरत है, जिसे 27000 / –रूपये मासिक वेतन मिलता है। प्रार्थिया व उसके पति कस्तूरचन्द जी की स्वअर्जित आय से निर्मित मकान नम्बर–633, नागर कॉलोनी, छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा राज0, जो पूर्ण निर्मित है, तथा पति की मृत्यु के पश्चात उक्त मकान की एक मात्र स्वामिनी है, जिसमें वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर पर पांच कमरे बने हुऐ है तथा एक कमरा मय लेट–बाथ प्रथम तल पर बना हुआ है, उक्त मकान के नीचे वाले ग्राउण्ड फ्लोर वाले पॉर्शन के दो कमरो, किचन में पुत्र हरिओम व उसकी पत्नी व बच्चे निवास करते है तथा दो कमरो में प्रतिपक्षनी निवास करती है तथा नीचे ग्राउण्ड फ्लोर पर एक कमरा खाली है जो प्रार्थिया व उसके पुत्र प्रविन्द्र का है तथा उक्त मकान के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रथम तल पर बने एक कमरे मय लेट–बाथ में प्रार्थिया स्वयं व अविवाहित पूत्र प्रविन्द्र कुमार निवास करते है। प्रार्थिया व सभी पुत्र शांतीपूर्वक उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे है, परन्तु प्रतिपक्षनी गत कुछ समय से अपने होमगार्ड में होने का फायदा उठाते हुऐ प्रतिपक्षनी आये दिन प्रार्थिया के साथ गाली– गलोच करते हरे अभद्र व्यवहार करती है और प्रार्थिया से आये दिन अपशब्द बोलते हऐ लड़ाई–झगडा करती है। यहां तक कई बार प्रतिपक्षनी ने प्रार्थिया को काफी जलील करते हुऐ मरने मर जा, कही चली जा इस घर को छोडकर जैसे शब्दो का भी प्रयोग किया गया तथा प्रतिपक्षनी के नियत में बेईमानी आ जाने ज अपने होमगार्ड में होने का फायदा उठाते हुऐ प्रतिपक्षनी जबरदस्ती ताकत के बल पर पूरे मकान को हतियाना चाहती है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिपक्षनी उक्त प्रकार के कृत्य करते हुऐं – निरन्तर प्रार्थिया को डरा धमका रही है कि प्रार्थिया व उसके पुत्र सभी मकान को खाली करके चले जाए, अन्यथा प्रार्थिया के दोनो पूत्रो को झूंठे बलात्कार के प्रकरणो में फंसा देगी और उन्हे जैल भिजवा देगी तथा कई बार स्वयं व बच्चो को जहर देकर आत्महत्या कर लेगी और प्रार्थिया व उसके पुत्रो को फंसा देगी, और यह भी धमकी देती है कि प्रार्थिया कही भी चली जाए, वह होमगार्ड में है और उसकी पुलिस में काफी पहचान है,प्रार्थिया कुछ भी कर ले, उसका कोई कुछ नही बिगाड सकते। इस प्रकार प्रतिपक्षनी ने प्रार्थिया व उसके बच्चो का जीना मुश्कल कर दिया और प्रार्थिया स्वयं का अपने मकान में रहना मुश्किल कर दिया है। प्रतिपक्षनी ना तो प्रार्थिया के प्रति अपना कोई फर्ज निभाती है, ना प्रार्थिया की कोई सेवा सुश्रुषा करती है, ना प्रार्थिया का भरण–पोषण करती है, ना ही प्रार्थिया की कोई ऐर सबेर, दवा दारू लाकर देती है, इसके बावजूद भी प्रतिपक्षनी आये दिन प्रार्थिया से अपशब्द बोलकर अभद्र व्यवहार कर लड़ाई–झगडा करती आई है और जबरदस्ती पूरे मकान को हड़पने की धरमकियां दे रही है। इसी आशय से प्रतिपक्षनी ने बिना प्रार्थिया की अनुमति व सहमति लिये ही अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रार्थिया के उक्त मकान में तोड–फोड करते हुऐ अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवाने की कोशिश की जा रही है तथा जब प्रार्थिया ने प्रतिपक्षनी से उक्त प्रकार से अवैध निर्माण कार्य करवाने से मना करने पर प्रतिपक्षनी ने निर्माण कार्य को बंद करवाने के बजाय उल्टा प्रार्थिया से लडाई–झगडा करते हुऐ धमकी दी कि उक्त निर्माण कार्य के बीच में कोई भी आया तो वह जान से खत्म कर देगी और पूरे परिवार के सदस्यो को झूंठे बलात्कार के मुकदमें फंसाकर जैल भिजवा देगी, या स्वयं आत्महत्या कर लेगी और वह निर्माण कार्य तो करवाकर रहेगी, जब प्रार्थिया ने प्रतिपक्षनी से यह भी कहा कि उपरोक्त मकान सम्पत्ति प्रार्थिया व उसके पति की स्वअर्जित सम्पत्ति मकान है, जिसे केवल मात्र प्रार्थिया ने प्रतिपक्षनी को बतौर लाईसेन्सी शांतिपूर्ण रहने की अनुमति दी है, इस कारण से प्रतिपक्षनी इस मकान को छोडकर अन्यत्र चली जावे, तो प्रतिपक्षनी कान खाली करने से भी इन्कार कर दिया और देख लेने की धर्मकियां दी गयी। इस प्रकार प्रतिपक्षनी केवल मात्र प्रार्थिया के उपरोक्त मकान में बतौर लाईसेन्सी निवास कर रही है। प्रार्थिया 72 वर्षीय सीनियर सीटीजन महिला है, जो कि प्रार्थिया अक्सर बीमार रहती है तथा प्रार्थिया को बी.पी. रहता है तथा प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास हो चुका है, प्रार्थिया की कोई स्वयं की आय भी नही है, ना ही आय का कोई जरिया है, प्रार्थिया को केवल नगर निगम से 1,000/ –रूपये की पेंशन प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

होती है, परन्तु प्रतिपक्षनी क्रम–1 योजनाबद्ध तरीके से आये दिन प्रार्थिया व उसके अन्य बच्चो के साथ अभद्र व्यवहार करती है, गाली–गलोच करती है, अपशब्दो प्रयोग करती है और यहां तक कई बार प्रार्थिया के साथ मारपीट तक करने पर आमदा हो गयी, प्रार्थिया की प्रतिपक्षनी द्वारा कोई सार संभाल तक नही लेते है, ना ही उसे कोई खर्चा देती है, ना ही उसकी देखरेख करती है, ना उसका भरण–पोषण करती है, और ना उसकी हारी–बीमारी में कोई दवा दारू लाकर देते है, जब भी प्रार्थिया प्रतिपक्षनी से मकान खाली करने की कहती है, तो प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया के साथ फोश–फोश गालियां निकालते हुऐ प्रार्थिया के साथ बदतमिजी करती है और लडाई–झगडा करते हुऐ मारपीट करने पर आमदा हो जाती है और प्रार्थिया को धमकी देती है कि यदि प्रार्थिया ने प्रतिपक्षनी को निकालने के प्रयास किये तो प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया को जान से खत्म कर देगी तथा प्रतिपक्षनी प्रार्थिया के दोनो बच्चो को भी झूंठे प्रकरणो में फंसा देगी तथा प्रतिपक्षनी ने पहले भी प्रार्थिया के पुत्र से लडकर ऊपर छत से कूदने का प्रयास कर चुकी है, जिस पर पडौसियो ने बचाया था। प्रतिपक्षनी जिस मकान में निवास कर रही है, वह मकान प्रार्थिया व उसके पति व प्रार्थिया की स्वयं की स्वअर्जित आय से निर्मित मकान है, जिस पर प्रार्थिया व उसके पति का ही हक व अधिकार है। परन्तु प्रतिपक्षनी ना तो प्रार्थिया को उक्त मकान में शांती से रहने दे रही है, ना ही मकान का शांतीपूर्वक उपयोग–उपभोग करने दे रही है और ना ही प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया की कोई ऐर सबेर करती है, ना ही उसका भरण–पोषण करती है, ना ही उसकी हारी–बीमारी में कोई सेवा सुश्रृष करती है और ना ही दवाईयां आदि लाकर देती है, तथा प्रतिपक्षनी पहले उक्त मकान का आधा बिल जमा करवाती थी, परन्तु अब प्रतिपक्षनी ने अक्टूबर माह से नल–बिजली का बिल जमा कराने से भी इन्कार कर दिया है, और प्रार्थिया को अपने मकान से बाहर निकालने पर आमदा है। इस कारण से अब प्रार्थिया अपने स्वअर्जित सम्पत्ति मकान में प्रतिपक्षनी को नही रखना/रहना देना चाहती है और उससे उक्त मकान को निष्कासित करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने उक्त सम्पत्ति मकान को अपनी व अपने पति की आय से निर्मित किया है, प्रार्थिया ही उक्त सम्पत्ति मकान की एक मात्र मालिक स्वामिनी है, प्रार्थिया ने केवल मात्र प्रतिपक्षीगण को बतौर लाईसेन्सी मकान में रहने की अनुमति दी थी, परन्तु प्रतिपक्षनी ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थिया के साथ मारपीट व लडाई–झगडा करते हुऐ जान से मारने पर आमदा है और मकान को हडप कर खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है, इस कारण से अब प्रार्थिया, प्रतिपक्षनी को उक्त मकान में नही रखना चाहती है। प्रार्थीया ने कई बार प्रतिपक्षनी से उक्त मकान खाली कर प्रार्थिया को संभलाये जाने बाबत निवेदन भी किया, परन्तु प्रतिपक्षनी, प्रार्थीया से झगडा करती है, मारपीट पर उतारू होती है तथा स्पष्ट कहती है कि मुझे कोई भी इस मकान से नहीं निकाल सकता, न ही मै किसी को इस मकान में रहने दूंगी। प्रार्थीया के पास केवल एक ही विकल्प रह गया है कि वह सम्माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर प्रतिपक्षनी को उक्त मकान से हटाये। प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया की पुत्र वधु है तथा प्रतिपक्षनी का कर्तव्य है कि प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया की सेवा सुश्रुषा करे, समय समय पर दवा दारू लाकर देवे, खर्चा देवे, क्योकि प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया के पुत्र की जगह अनुकम्पा नियुक्ति लगी है। और उसका यह कर्तव्य है कि प्रार्थिया की सेवा सुश्रुषा करने के साथ–साथ उसका भरण–पोषण भी करे, परन्तु प्रतिपक्षनी, प्रार्थिया का

उपखण्ड अधिकारी

भरण–पोषण भी नही कर रही है, इस कारण से प्रार्थिया, प्रतिपक्षनी से स्वयं के जीवन निर्वाह हेतु 10,000/–रूपये प्रतिमाह भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है, जिसे प्रतिपक्षनी से दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रतिपक्षनी के खिलाफ एक रिपोर्ट दिनांक 27–08–2025 को दी गयी ,जिसका कम्पलेन्ट नम्बर–75620182500733 है, लेकिन कोई कार्यवाही नही की, उसके बाद प्रार्थिया ने श्रीमान एस.पी. साहब को दिनांक–21–1–2025 को भी परिवाद दिया गया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थना–पत्र पेश करने का कारण गत काफी दिनो से प्रतिपक्षनी द्वरा प्रार्थीया के साथ सर्वथा अनुचित व्यवहार करने तथा प्रतिपक्षनी द्वारा प्रार्थीया को उसके मकान में चौन से नही रहने देने, प्रार्थीया द्वारा प्रतिपक्षनी से मकान को खाली कर मकान से अन्यत्र चले जाने की कहने पर न मानते हुऐ अत्यन्त गंभीर आरोपो वाली व लडाई–इझगडा करने की धरमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना– पत्र (कार्यवाही) प्रार्थीया के पक्ष में व प्रतिपक्षनी के विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुऐ प्रार्थीया के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाकै मकान नम्बर–633, नागर कॉलोनी, छावनी रामचनद्रपुरा कोटा राज0 से प्रतिपक्षनी को निष्कासित किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावे तथा प्रार्थीया को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थीया के उक्त मकान सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हऐ उक्त बाबत समुचित आदेश प्रतिपक्षनी के विरूद्ध प्रदान फरमाया जावे तथा प्रार्थिया को प्रतिपक्षनी से स्वयं के जीवन निर्वाह, भरण –पोषण, हारी –बीमारी आदि वास्ते 10000/–रूपये० प्रति माह की राशि दिलवाई जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार उचित हो वह भी प्रार्थीया के पक्ष में पारित फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीया के पति का दिनांक 28.04.2021 को हो गया था। तब से प्रार्थीया व उसकी पुत्री सुलोचना नामा जो कि विवाहित होते हुये भी आये दिन पीहर में ही रहती है जिसने अप्रार्थीया का जीना मुश्किल कर रखा है और जेठ हरिओम अप्रार्थीया पर बुरी नजर रखता है एवं जेठ परविन्दर अप्रार्थीया को जबरन् पत्नी रूप में रखना चाहता है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया का उक्त मकान वैवाहिक साझा निवास है जिसमें अप्रार्थीया अपने बच्चों सहित निवास कर रही है और उक्त मकान को अप्रार्थीया के ससुर स्व0 कस्तुरचंद जी की स्वअर्जित आय से बनाया गया था और इस तथ्य को प्रार्थीया भी स्वीकार कर रही है। प्रार्थीया अपनी विवाहित बेटी व दोनों बेटों के साथ मिलकर अप्रार्थीया व उसके बच्चों को घर से निकालने पर आमादा है जिसका की उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीया की पति के स्थान पर लगी होमगार्ड की नौकरी पूर्णतया अस्थायी रोज ड्यूटी नहीं आती है। वेतन बहुत कम है। जिससे प्रार्थीया स्वयं का व दोनों बच्चो का पढ़ाई लिखाई व पालन पोषण करती है। अप्रार्थीया पर काफी कर्जा भी हो गया है। उल्टा प्रार्थीया व उसके बेटी व बेटों ने आपस में मिलकर अप्रार्थीया के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र एकराय होकर रचे है और अप्रार्थीया को काफी बार बेईज्जती की है। अप्रार्थीया के साथ विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा कारित की गई है। अप्रार्थीया को जबरन जेठ के नाते रखने हेतु दबाव बनाया जा रहा है अप्रार्थीया काफी सदमें में है। अप्रार्थीया की बच्ची के दिल में छेद भी है। इस संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
जेत

अप्रार्थीया द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत न्यायालय एसीजेएम कम–5 में केस दायर किया हुआ है। अप्रार्थीया को अपने प्रभावशाली होने का डर दिखाकर डराया व धमकाया जा रहा है। अप्रार्थीया के सारे जेवर जिनमें मंगलसूत्र व पायल है प्रार्थीया के कब्जे में है। अप्रार्थीया को इतना परेशान किया गया है कि अप्रार्थीया का बच्चों सहित जीना मुश्किल हो गया है। जब मकान अप्रार्थीया के ससूर जी ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाया है तो उसमें अप्रार्थीया के स्व0 पति का विधिक हिस्सा नियत है और अप्रार्थीया प्रथम श्रेणी की पत्नी होने के नाते उस विधिक हिस्से की विधिक अधिकारिणी है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 19 में स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित किया गया है कि विवाहित महिला को उसके वैवाहिक साझा निवास से बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया के दोनों बेटे परविन्दर कॉफी हाउस चलाता है और हरिओम ब्रोकर का कार्य कर अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर लेते है । जो कि अपनी मां का अछ्छे से भरण पोषण कर सकते है अप्रार्थीया तो बहु है। जिस पर बीमार बच्ची आराध्या व पुत्र ईशान्त की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा है। होमगार्ड की नौकरी अस्थायों है। जब प्रार्थीया के दोनों पुत्र कमाते है केवल मात्र अप्रार्थीया को बच्चों सहित घर से निकालने का उद्देश्य रखते हुये और परेशान करने का उद्देश्य रखते हुये यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। उल्टा प्रार्थीया स्वयं व उसकी बेटी व दोनों बेटों ने अप्रार्थीया को आधा बिल जमा कराने के उपरान्त भी नल बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी है जिससे कि अप्रार्थीया व उसके दोनों बच्चे मूलभूत आवश्यकतायें पानी बिजली से वंचित होकर परेशान होकर मकान खाली कर दे जो कि विधि विरूद्ध कृत्य है। अप्रार्थीया विवाह के बाद बहु बनकर इस मकान में वैवाहिक संस्कारों के साथ प्रार्थीया व परिजनों व रिश्तेदारों के समक्ष आई थी जो कि एक वैवाहिक संस्कार है जिसमें गुह प्रवेश की रस्म होती है उस गृह प्रवेश की रस्म को प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तृत कर उसके पैरा नम्बर 9 में भारतीय परम्पराओं का भी अपमान किया है और सास जैसे पवित्र शब्द को कलंकित किया है प्रार्थीया ने अपनी वैवाहिक बहु को लाईसेन्सी बताया है। उक्त शब्द बहुत ही भद्दा व घिनौना है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा सास बहु के रिश्ते का मजाक बनाया गया है और अपने ही बेटे की वैवाहिक संस्कारों से लाई गई बहु को लाईसेन्सी बतायां है जो कि बहुत ही निदनीय है। विस्तृत विवरण अप्रार्थीया इतनी बार अपमानित होने व धर्मकियां बर्दाश्त करने व घरेलू हिरांये साहकर भी आज भी प्रार्थीया को अपनी मां से बढ़कर दर्जा देती है और भविष्य में भी देती रहेगी और हमेशा उसकी सेवा सुश्रुषा करती रहेगी। प्रार्थीया अपना भरण पोषण करने में अपने बेटों की आय के चलते सक्षम है। प्रार्थीया स्वयं अप्रार्थीया को मकान खाली करने की धमकी दे रही है। कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अप्रार्थीया आज भी उसी जगह रह रही है। केवल मात्र किचन को थोड़ा बडा चाहती है क्योंकि बच्चों के खाना बनाने में पूर्व किचन छोटा पड़ रहा है और इसी बात को छिपाकर प्रार्थीया द्वारा यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तृत किया गया है। जो खारिज होने योग्य है। जिस मकान से बेदखल कराने के लिये प्रार्थीया यह केस लेकर आई है। उक्त मकान अप्रार्थीया का साझा वैवाहिक निवास है और अप्रार्थीया अपने स्वर्गीय पति यश नामा की प्रथम श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारिणी है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया

कोर्ट

जावें। अप्रार्थीया पर उसकी हृदय रोगी बेटी व बेटे के ईलाज व पढाई लिखाई व पालन पोषण व स्वयं का पालन पोषण, नल बिजली, आना जाना, नाते रिश्ते इत्यादि की जिम्मेदारीयां है इन सबका खर्चा मासिक कमाई से ज्यादा है और प्रार्थीया उसके दोनों बेटो को तो अप्रार्थीया व उसके दोनों बच्चो की मदद करनी चाहिये थी उनके ईलाज में आगे आना चाहिये था। इस प्रकार अपने मृत भाई व बेटे के बच्चो की मदद करने के बजाये उनको मकान से निकालकर दर दर की ठोकरे खाने के लिये यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीया कभी गलत नहीं थी आज भी आप्राथीया सबकुछ भूलकर प्रार्थीया को मां से बढकर दर्जा दे रही है और भविष्य में उसकी सार संभाल सेवा एवं सुश्रुषा के लिये तैयार व तत्पर है। प्रार्थीया को विधवा पेंशन प्राप्त होती है और दोनों बेटे जिनमें एक अविवाहित है अपनी कमाई लाकर मां के हाथों मे रखते है। जिससे उसका अच्छे से भरण पोषण हो रहा है जबकि अप्रार्थीया एक विधवा महिला है जिस पर दोनो बच्चो के ईलाज व पढाई की जिम्मेदारी भी है इस प्रकार प्रार्थीया का भरण पोषण में सक्षम होने के चलते यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया व उसकी बेटी सुलोचना अविवाहित पुत्र परविन्दर के जबरन अप्रार्थीया का नाता विवाह कराने पर आमादा है और परविन्दर अप्रार्थीया को कई बार घूरतें हुये बुरी नियत रखते हुये स्पर्श करने का प्रयास करता है इसका विरोध करने पर सभी मिलकर अप्रार्थीया को मानसिक प्रताड़ित करते है और इस वजह से भी रजिश रखते हुये घर से निकालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तृत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने माननीय न्यायालय के समक्ष झूठ का सहारा लेने एवं मकान से निकालने का मकसद होने एवं प्रार्थीया के भरण पोषण में सक्षम होने एवं अप्रार्थीया की अस्थाई नौकरी होने इत्यादि के चलते खारिज होने योग्य है।

बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से बहस की गई जो सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से फर्द दस्तावेज मकान की रजिस्ट्री प्रार्थीया की, प्रार्थीया द्वारा दी गई शिकायत की प्रति दिनांक 27.08.2025, प्रार्थीया द्वारा शिकायत की प्रति दिनांक 24.11.2025, गुमानपुरा थाना में पेश की गई रिपोर्ट की प्रति, रिपोर्ट कमांडेट ग्रह रक्षा केन्द्र कोटा की प्रति, पुलिस अधीक्षक जिला कोटा दिनांक 21.11.2025 की रसीद, पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को पेश रिपोर्ट की प्रति दिनांक 21.11.2025, 24.04.2026 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थीया की ओर से दस्तावेज न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 5 कोटा में प्रस्तुत परिवाद की प्रति, बेटी आराध्या के मेडिकल टिकिट की कॉपी, एफ0आई0आर0 की फोटोप्रति पेश की।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उपरोक्त मकान प्रार्थीया व उसके पति कस्तूरचंद जी की स्वअर्जित आय से निर्मित किया गया है तथा पति की मृत्यु के पश्चात उक्त मकान की एक मात्र स्वामिनी प्रार्थीया है। प्रतिपक्षनी अपने होमगार्ड में होने का फायदा उठाते हुऐ प्रतिपक्षनी आये दिन प्रार्थिया के साथ गाली– गलोच करते हरे अभद्र व्यवहार करती है और प्रार्थिया से आये दिन अपशब्द बोलते हऐ लड़ाई–झगडा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करती है। अप्रार्थीया प्रार्थीया एवं उसके पुत्रों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है।

अप्रार्थीया का यह कथन रहा है कि प्रार्थीया अपनी विवाहित बेटी व दोनो बेटों के साथ मिलकर अप्रार्थीया व उसके बच्चों को घर से निकालने पर आमादा है। प्रार्थीया व उसके बेटी व बेटों ने आपस में मिलकर अप्रार्थीया के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रचे है और अप्रार्थीया को काफी बार बेईज्जती की है। अप्रार्थीया के साथ विभिन्न प्रकार की घेरलू हिंसा कारित की गई है।

प्रार्थीया की ओर से मकान की रजिस्ट्री की प्रति पेश की गई है जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त मकान की स्वामिनी प्रार्थीया है। प्रार्थीया की ओर से दस्तावेजो/रिर्पोटो की प्रतियों के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया को वृद्धावस्था में लडाई–झगडा, गाली गलौच एवं झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर शांतिपूर्वक जीवन से वंचित किया जा रहा है। प्रार्थीया की सुरक्षा हेतु हम अप्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित मकान मकान नं0 633 नागर कॉलोनी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा प्रार्थीया की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीया अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके प्रार्थीया को प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीया त्रस्त है। अप्रार्थीया एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीया को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीया को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान मकान नं0 633 नागर कॉलोनी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी गुमानपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक 15.5.26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
को.